न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–20/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/20)

मैसर्स श्रीनाथ माईन्स एण्ड मिनरल्स, केकडी जरिये पार्टनर्स–

1. रामअवतार डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
2. बालकिशन साहू पुत्र गजानन्द साहू
3. बिरदीचन्द डोडिया पुत्र रामप्रताप डोडिया
4. निलेश कर्नावट पुत्र सुशील कर्नावट

समस्त निवासी केकडी, तहसील केकडी, जिला अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. भूरी पत्नी छोटू तथाकथित पुत्री नारायण, जाति दरोगा, निवासी श्रीराम कॉलोनी, केकडी, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।
2. महावीर पुत्र नारायण
3. बल्लू पत्नी प्रहलाद
4. राजू पुत्र प्रहलाद
5. हेमराज पुत्र प्रहलाद
6. मोनू पुत्र प्रहलाद
7. लालाराम पुत्र प्रहलाद
8. शंकर पुत्र नारायण

समस्त जाति दरोगा, निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय दिनांक 2.9 .2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी, प्रकरण संख्या124/2019 (2019/00386)

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1
3. श्री आर.पी.शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 8
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 9

निर्णय

दिनांकः–20.09.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 2.9.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1/वादीया (जिसे अपील में आगे चलकर विपक्षी कहा जाएगा) ने एक राजस्व वाद संख्या 1858/2017 अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 209

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध अपीलांटस व शेष रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा वाद पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र संख्या 136/2017 अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि विवादित आराजी खसरा संख्या 4813, 4814, 4817, लगायत 4822, 4828, 4829, 4946 लगायत 4950 कुल किता 15 कुल रकबा 8.30 हैक्टर वाके स्थित करवा केकड़ी प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजी है जो प्रार्थीया के दादा श्री बालू पुत्र रोडा, जाति दरोगा के नाम राजस्व रिकार्ड 1349 फसली में बतौर खातेदार दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के उपरांत बालू पुत्र रोडा के एकमात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतौर खातेदारी में दर्ज की गई। नारायण पुत्र बालू प्रार्थीया का पिता है, प्रार्थीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उसकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 1 व प्रहलाद व अप्रार्थी संख्या 7 उसके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिसान है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थीया का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से हक अधिकार व हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया के पिता की मृत्यु उपरांत प्रार्थीया अपने 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीगण का प्रार्थीया के 1/4 हिस्से में किसी प्रकार का हक अधिकार व हिस्सा नहीं है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के पिता की मृत्यु उपरांत राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामांतरकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया। जबकि प्रार्थीया जो स्व. नारायण की जाईन्दा पुत्री है, का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जो दुरूस्त किए जाने योग्य है। अप्रार्थीगण दिनांक 6.10.2017 को एकराय होकर आए और प्रार्थीया को आराजीयात से जबरन बेदखल करने की नियत से लडाई झगडा करने लगे व प्रार्थीया को धमकी दी कि आराजीयात राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज है, हम उक्त आराजीयात को अन्य व्यक्ति को बेचान कर तुझे बेदखल कर देंगे। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र के अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने का निवेदन किया। यह कि वर्तमान अपीलांटस द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 24.8.2021 को प्रार्थना पत्र अंतर्गत ओदश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार कर वर्तमान अपीलांटस को प्रतिवादी संख्या 9 पक्षकार मुर्तिब किया। जिनके द्वारा भी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के कथनों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किए जाने का निवेदन किया। प्रार्थी व अप्रार्थीगण की अभिभाषक की बहस सुनते हुए दिनांक 02.09.2021 को आदेश पारित कर दिये, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांटस द्वारा यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2.9.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चाराजोही किए जाने की कानूनी सलाह के अभाव में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकी। माननीय न्यायालय के समक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

विचाराधीन अपील संख्या 218/2021 में प्रार्थीगण को प्राप्त नोटिस के आधार पर प्रार्थीगण दिनांक 3.12.2021 को अजमेर आए तथा अपना अभिभाषक नियुक्त किया। अभिभाषक से बातचीत के दौरान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय से प्रार्थीगण को पाबंद किए जाने तथा प्रार्थीगण की क्रयशुदा आराजी में निहित उनके विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित हो जाने के तथ्य अभिभाषक को बताए जाने पर अभिभाषक द्वारा प्रार्थीगण को भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 2.9.2021 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किए जाने की कानूनी सलाह प्रदान की गई। अभिभाषक की सलाह के आधार पर प्रार्थीगण आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति हेतु दिनांक 9.12.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर दिनांक 13.12.2021 को प्रमाणित प्रतियां प्राप्त हुई। परंतु सहवन से आक्षेपित निर्णय दिनांक 2.9.2021 की प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं हो सकी। जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पुनः दिनांक 28.12.2021 को प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन किया तथा उसी दिन प्रमाणित प्रति प्राप्त कर प्रकरण संबंधी अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित कर प्रार्थीगण ने दिनांक 4.1.2022 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से संपर्क किया जिससे बिना किसी देरी के उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई उक्त सदभाविक देरी का न्यायहित में क्षमा कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट अंकित किया है कि विपक्षी नारायण पुत्र बालू की पुत्री नहीं है, ना ही विवादित आरजी से विपक्षी का कोई संबंध व सरोकार है। विपक्षी कभी भी विवादित आराजी पर काबिज काश्त नहीं रही है, विपक्षी ग्राम जाल का खेड़ा में निवास करती है तथा उसके हक व आधिपत्य की आराजी ग्राम जाल का खेड़ा में ही स्थित है और विपक्षी द्वारा ऐसा कोई भी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित उक्त तथ्यों पर गहनता से विचार किए बिना सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। विपक्षी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नगर पालिका केकडी का पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था, जिस बाबत अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह निवेदन किया गया था कि प्रार्थीया द्वारा जो अध्यक्ष नगर पालिका केकड़ी द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है, वह कानूनी नहीं है। पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र पर अधिशाषी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है, ऐसी स्थिति में उक्त सजरा प्रमाण पत्र फर्जी होकर मान्य नहीं है। राजस्व रिकार्ड से विवादित आराजी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मुर्तिब प्रतिवादीगण के नाम होना पूर्ण रूप से जाहिर है। इस प्रकार यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिंदु कही भी विपक्षी के पक्ष में साबित ना होकर अपीलांटस के पक्ष में साबित होता है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उक्त तीनों बिंदुओं एवं प्रावधानों के नजरअंदाज करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित कर अवैधानिकता कारित की है। अपीलांटस सदभावी क्रेता है जिनके द्वारा मूल्यवान प्रतिफल अदा कर आराजी क्रय की गई है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

विपक्षीगण के मनगढंत तथ्यों के आधार पर आक्षेपित आदेश पारित कर अपीलांटस के पाबंद फरमा दिया है, जिससे अपीलांटस अपने क्रयशुदा आराजी में अपने विधिक अधिकारों के उपयोग उपभोग से वंचित हो गए हैं जो न्याय की कतई मंशा नहीं है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग करते हुए रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने में गंभीर त्रुटि कारित की है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि रिकार्डेड खातेदार को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत के विपरीत विपक्षी के मनगढंत कथनों के आधार पर अवैधानिक रूप से रिकार्डेड खातेदार को पाबंद किए जाने में गंभीर त्रुटि कारित की है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 2/9/2021 निरस्त फरमाए जाने के आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 214(2) आर.आर.टी. 1417 पेज 930, 2015(1) आर.आर.टी. पेज 560, 2013(2)आर.आर.टी. पेज 805, 2016–17(सप्ली.) आर.आर.टी. पेज 17, 2014(2) आर.आर.टी. पेज 835, 2010(1) आर.आर.टी. पेज 149, 2012(1) आर.आर.टी. पेज 232, 2016(2)आर.आर.टी. पेज 1323, 2016–17(सप्ली.) आर.आर.टी. पेज 637, 2018(1) आर.आर.टी. पेज 692, 2018(2) आर.आर.टी. पेज 1275 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से अभिभाषक ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी उनको थी फिर भी यह अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है, जो देरी के कारण अंकित किये गये है वह संतोषजनक नहीं होने के कारण प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावें।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में 210निवेदन किया कि वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है जो प्रार्थीया के दादा बालू पुत्र रोड़ा जाति दरोगा के नाम राजस्व रिकार्ड 1349 फसली में बतौर खातेदार के दर्ज है तथा उनकी मृत्यु के उपरांत बालू पुत्र रोड़ के एक मात्र विधिक वारिस नारायण के नाम बतौर खातदेारी में आराजीयात राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। नारायण पुत्र बालू जाति दरोगा प्रार्थीया का पिता है तथा प्रार्थीया के पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 01 व प्रहलाद व अप्रार्थी संख्या 07 उनके विधिक वारिसान है। प्रहलाद की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 मृतक प्रहलाद के विधिक वारिस है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थीया का पुश्तैनी आराजीयात में जन्म से ही हक अधिकार हिस्सा निहित है तथा प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीया अपने हिस्से 1/4 हिस्से को काश्त कर उपज प्राप्त करती चली आ रही है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के उपरान्त राजस्व अधिकारियों से मिलीभगत कर नामान्तकरण स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है जबकि स्वर्गीय नारायण की जायन्दा पुत्री का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया है, जो दुरूस्त किये जाने योग्य है, इसलिए यह वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थीया नारायण की पुत्री है या नहीं यह मूल वाद में वाद शहादत तय होगा। वर्तमान में प्रथम दृष्टया प्रकरण,

सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विन्दू प्रार्थीया वर्तमान रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में है। आज की तारीख में प्रश्न यह है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने दिनांक 02.09.2021 को यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं विवादित आराजी को विक्रय, हस्तातरण रहन, वक्षीस नहीं करने हेतु पांवद किया है, जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से प्रार्थी/अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

8. विद्धान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 से 08 ने दौराने वहस अपील में निवेदन किया कि प्रार्थीया ने कोई सजरा पेश नहीं किया, आराजी पैतृक होने का कोई दस्तावेज सलंग्न नही है। प्रार्थीया भूरी नारायण की वेटी हो यह सावित नहीं किया है। रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रसारित नहीं किया जा सकता है। विवादित आराजी वावत् नारायण के फौत होने पर नामान्तकरण नियमानुसार खोला गया है। प्रार्थीया अजनवी है उसका इस आराजी से कोई वास्ता व सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश आज्ञापक आदेश नहीं है तथा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो आवश्यक विन्दू तीनो आवश्यक विन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विवेचन किये विना ही आदेश पारित किये है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

9. विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई वहस पर मनन किया गया एवं गुणावगुण पर पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तीनो विन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति की आदेश में विवेचना नही की है। जाप्ता दीवानी के आदेश 20 नियम 05 की पालना न कर केवल साईक्लोस्टाईल आदेश जारी किया गया है। एक तरफ न्यायालय नामान्तकरण दर्ज करने की अनुमति दे रहा है, दूसरी तरफ स्थगन आदेश देता है जो कि विरोधभासी है। धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम के अधीन आदेश का स्वरूप प्रतिषेध का आदेश (मना करने का आदेश) जारी किया जा सकता है पर किसी सकारात्मक कार्य करने के निर्देश देने का आदेश (आज्ञापक आदेश) जारी नही किया जा सकता है। धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आज्ञापक आदेश जारी नहीं किया सकते है। वाला वनाम खेमा 1994(1) आर.वी.जे. पेज 190 उक्त स्थगन आदेश आज्ञापक व प्रतिषेधात्मक का मिश्रण है, जो अपने आप में विरोधाभासी है। उपरोक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 02.09.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वादिया मूल खातेदार नारायण पुत्र वालू की पुत्री होने वावत् प्रस्तुत साक्ष्यो की वैधता एवं प्रभाविकता की विस्तृत जॉच कर विवादित आराजी पर कब्जे वावत् निष्कर्ष अंकित करते हुए धारा 212 के तीनो आवश्यक विन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान को जवाव/वहस का समुचित एवं पूर्ण अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर केवल निषेधात्मक आदेश पारित करें।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के आदेश दिनांक 02.09.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वादिया मूल खातेदार नारायण पुत्र बालू की पुत्री होने बावत् प्रस्तुत साक्ष्यो की वैधता एवं प्रभाविकता की विस्तृत जॉच कर विवादित आराजी पर कब्जे बावत् निष्कर्ष अंकित करते हुए धारा 212 के तीनो आवश्यक बिन्दू प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुए एवं पक्षकारान को जवाब/बहस का समुचित एवं पूर्ण अवसर देते हुए पुनः गुणावगुण पर केवल निषेधात्मक आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.10.2022 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर